कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

फार्म–VIII "क"

(भवन परमिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या–8 (4)

आवेदन संख्या–456/24-25 दिनांक–29.6.24 के संदर्भ में **श्रीमति नीलम अग्रवाल, पति–श्री रामजीवन अग्रवाल, श्री रामजीवन अग्रवाल, पिता–श्री केदार अग्रवाल, श्रीमति सुशीला देवी, पति–श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, श्री तापस कुमार चटर्जी, पिता–श्री सुधीर कुमार चटर्जी, मोहल्ला–मिशन रोड भट्ठा बाजार, पूर्णियाँ, वार्ड नं0–22,** जिला–पूर्णियाँ के लिए

(क) **B+G+04 (आवासीय) भवन के निर्माण**

पूर्णियाँ नगर निगम पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के **मौजा–मधुबनी, थाना नं0–123/1, एम0एस0 प्लौट नं0–369 क, ख,ग,घ,च,छ,ज खाता संख्या–276, होल्डिंग संख्या–22/0114450, मोहल्ला–मिशन रोड भट्ठा बाजार, पूर्णियाँ, वार्ड नं0–22** के बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. **प्रस्तावित भवन का उपयोग आवासीय के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा** और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नही किया जायेगा।

2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।

3. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **1276.52 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान** खुला एवं कभड रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **मिशन रोड भट्ठा बाजार** जाने वाली सड़क **(30 फीट) 9.14 मीटर चौड़ाई** के अनुमोदित पहूँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

5. प्रश्नगतभूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवशय हो।

6. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णियाँ **नगर निगम क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।**
7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से **पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य** होगी।

8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नही मानी जाएगी।

9. योजना के अनुमोदन के पश्चात भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

10. प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि आस–पड़ोस के भवनों पर किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुँचे एवं ग्रीन शीट से ढ़क कर ही निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आस–पास का पर्यावरण प्रदूषित न हो।

11. प्रस्तावित भवन भूकम्प रोधी तकनीक पर बने एवं उच्च गुणवत्ता युक्त हो, ताकि भूकम्प के प्रभाव नहीं पड़ सकें।

12. जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

13. जल संचय (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

14. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं संशोधित भवन उपविधि 2022 में उपबंधित अन्य सभी संबंधित शर्त्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

उपरोक्त शर्त्तों के साथ उक्त भवन मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।

31/X/2024

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।